बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक– 27/3/18

अधिसूचना सं०–**17/विविध1–17/2017** – 211(17) /स्वा०, सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली 2008 एवं (संशोधन) नियमावली 2013 के आलोक में सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर के टेन्योर पदों पर स्वास्थ्य सेवा संवर्ग एवं बाह्य चिकित्सकों को निम्नांकित शर्तों के अधीन राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल में नियुक्ति की जाती है। यह नियुक्ति मात्र तीन वर्षों के लिए होगी।

2. संबंधित स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सकों को जो वेतन एवं भत्ता पूर्व से प्राप्त हो रहा है, वही वेतन एवं अनुमान्य भत्ता टेन्योर पदों पर पदस्थापन अवधि में देय होगा। वेतन से की जा रही सामान्य कटौतियाँ नियमानुसार की जाएगी ।

3. वाह्य चिकित्सकों को वेतनमान 9300–34800 ग्रेड पे०–5400/–अन्य अनुमान्य भत्ते सहित देय होगा।

4. टेन्योर अवधि की समाप्ति के उपरांत वैसे पद धारक जो स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सक है, वे अपने पैतृक संवर्ग में वापस हो जायेंगे। वैसे वाह्य चिकित्सक जो राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के सदस्य नहीं है, उनकी टेन्योर समाप्ति के पश्चात् वे उस टेन्योर पद अथवा किसी अन्य पद पर लगातार बने रहने का दावा नहीं कर सकेंगे।

5. नियंत्री पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि संबंधित चिकित्सकों को तुरत विरमित कर देगें। सभी चिकित्सकों को निदेशित किया जाता है कि वे अपने नव पदस्थापित स्थान पर यथाशीघ्र (अधिकतम 15 दिन में) अनिवार्य रूप से योगदान कर कार्यभार ग्रहण कर लें।

6. योगदान के समय सबंधित महाविद्यालय अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक, ट्यूटर/सीनियर रेजिडेन्ट के लिए अहर्त्ता संबंधी शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों एवं आरक्षण कोटि के प्रमाण पत्रों की जाँचकर संतुष्ट हो लेंगे । आरक्षण का लाभ केवल बिहार के मूल निवासी को ही देय होगा । विसंगति पाये जाने पर पूर्ण विवरण सहित विभाग को सूचित करेंगे ।

7. संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक नियुक्त ट्यूटर/सीनियर रेजिडेन्ट से योगदान के समय इस आशय का शपथ–पत्र प्राप्तकर लेंगे कि चिकित्सक MCI से मान्यता प्राप्त किसी अन्य चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/संस्थान सें तीन वर्षो का ट्यूटर/सीनियर रेजिडेन्ट की अवधि पूर्ण नही किये है।

ट्यूटर /सीनियर रेजीडेन्ट सर्जरी

कम सं0	**चिकित्सक का नाम**	**कैटेगरी**	**आरक्षण कोटि**	**पदस्थापन स्थान**
1	डा0 राजीव कुमार रंजन	पी0जी0एस0	पि0 वर्ग	वर्द्धमान आर्यु0 संस्थान, पावापुरी, नालंदा।
2	डा0 अमरनाथ कुमार	पी0जी0एस0	पि0 वर्ग	वर्द्धमान आर्यु0 संस्थान, पावापुरी, नालंदा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

27/3/18

(सच्चिदानन्द चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक :–17/ विविध1–17/2017 – 211 (17) **पटना, दिनांक :–** 27/3/18

प्रतिलिपि :–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै० दा०नि० को०) विभाग, बिहार, पटना /संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–प्राचार्य/अधीक्षक, सभी संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/ संबंधित सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/विशेष सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक /संयुक्त सचिव 1, स्वास्थ्य के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वास्थ्य विभाग/विशेष कार्य पदाधिकारी, (प्रभारी प्रशाखा–17) स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी–1,2,3,9 एवं 17, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

27/3/18

सरकार के विशेष सचिव।